उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1
संख्याः–2221/80–1–2018–600(20)/94
लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख) के द्वितीय परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्शर इकाईयाँ गुड़, खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्शर इकाईयाँ गुड़, खाण्डसारी) मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2018 कहा जायेगा ।

(2) यह चीनी वर्ष प्रारम्भ होने अर्थात् किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अक्टूबर से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2– इस आदेश में –

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 से है;

(ख) "कृषि वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस आदेश से अनुलग्न किसी प्रपत्र से है;

(घ) "चीनी वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ङ) "क्शर इकाई" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित एक या उससे अधिक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाली और मण्डी समिति द्वारा इस रूप में लाईसेन्स प्राप्त किसी इकाई से है।

3– इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यापारी, जिसके पास क्शर इकाई के रूप में, मण्डी समिति का वैध लाईसेन्स हो, ऐसे मण्डी शुल्क की धनराशि के बदले में, जो उसके सापेक्ष चीनी वर्ष 2016–2017 से 2018–2019 तक के लिए देय हो, एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। परन्तु यह कि इस खण्ड के उपबंध, किसी मण्डी समिति द्वारा वहाँ लागू किये जाएंगे जहाँ मण्डी क्षेत्र में स्थित कम से कम 30 प्रतिशत इकाईयाँ उक्त योजना के लिए विकल्प दें।

4– क्शर इकाई के रूप में लाईसेन्स प्राप्त कोई व्यापारी जो एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने का विकल्प दे, इस आदेश के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर मण्डी समिति को प्रपत्र संख्या–1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5– जैसे ही खण्ड–4 में उल्लिखित आवेदन प्राप्त हो वैसे ही मण्डी समिति को इसमें यथा विहित रीति से देय मण्डी शुल्क की एकमुश्त धनराशि का निर्धारण करना होगा।

6– क्रय–विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर देय मण्डी शुल्क के बदले में किसी क्शर इकाई से वसूल की जाने वाली एकमुश्त धनराशि निम्नवत होगी:–

क्र0 सं0	क्शर इकाई (गुड़, खाण्डसारी, आदि) का आकार और प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2016–2017 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	20X25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क)नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक या नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त	260210	65050	325260

		प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)			
2	20X25.5 सेन्टी मीटर से अधिक किन्तु 25.5X 30.5 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	356640	89160	445800
3	25.5X30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28.00X35.5 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	529600	132400	662000
		(ख) हाइड्रोलिक नानहाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	967370	241840	1209210
4	28.00X35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00X46.00 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1050020	262500	1312530
		(ख) हाइड्रोलिक नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	1496970	374240	1871210
5	33.00X46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	2975580	743890	3719470

क्र0 सं0	क्रेशर इकाई (गुड़, खाण्डसारी, आदि) का आकार और प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2017–2018 के लिए प्रशमन धनराशि(रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	20X25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क)नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	286230	71550	357780
2	20X25.5 सेन्टी मीटर से अधिक किन्तु 25.5X 30.5 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	392300	98070	490380
3	25.5X30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28.00X35.5 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	582560	145640	728200
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	1064100	266020	1330130
4	28.00X35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00X46.00 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1155020	288750	1443780
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	1646670	411660	2058340
5	33.00X46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	3273140	818280	4091420

क्र0 सं0	क्रेशर इकाई (गुड़, खाण्डसारी, आदि) का आकार और प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2018–2019 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	20X25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क)नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	314850	78710	393560
2	20X25.5 सेन्टी मीटर से अधिक किन्तु 25.5X 30.5 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	431530	107880	539420
3	25.5X30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28.00X35.5 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	640820	160200	801020
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	1170510	292620	1463140
4	28.00X35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00X46.00 सेन्टी मीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1270530	317630	1588160
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	1811340	452830	2264170
5	33.00X46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नानहाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया सहित (बिना टरबाइन)	3600450	900140	4500570

7– यदि क्रशर इकाई टरबाइन युक्त है तो चीनी वर्ष 2016–2017 से 2018–2019 के लिए प्रत्येक आकार हेतु उल्लिखित प्रशमन धनराशि उपरोक्त स्तम्भ सं0–4, 5 एवं 6 में उल्लिखित प्रशमन राशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

8– यदि क्रशर इकाई के रूप में लाइसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी ने चीनी वर्ष 2016–2017 से 2018–2019 के संबंध में मण्डी शुल्क की किसी धनराशि का भुगतान कर दिया हो, उसके द्वारा संदेय मण्डी शुल्क के बदले में एकमुश्त धनराशि का विकल्प देता है तो उस चीनी वर्ष के दौरान पहले ही संदत्त मण्डी शुल्क की धनराशि, इस अधिसूचना के अनुसार परिनिर्धारित एकमुश्त धनराशि से घटा दी जायेगी।

9– घटाये जाने के पश्चात् यदि कोई धनराशि अधिशेष रह जाती है तो उसका समायोजन अगले वर्ष में किया जायेगा, इसके पश्चात यदि कोई धनराशि अधिशेष रह जाती है तो इसका समायोजन आगामी वर्षो में किया जायेगा, मण्डी समिति द्वारा उसे वापस नहीं किया जायेगा।

10– क्रशर इकाई के अनुमानित उत्पादन के आधार पर सिक्योरिटी पेपर पर मुद्रित गेटपास पुस्तिका, इकाई पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। यदि मण्डी समिति द्वारा जांच में गेटपास पुस्तिका का कोई दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो पुस्तिका को जब्त कर लिया जायेगा और व्यापारी, इस आदेश के अधीन लाभ से वंचित होने का उत्तरदायी होगा और इकाई के विरूद्ध वैधानिक एवं प्रपीड़क कार्यवाही भी की जायेगी ।

11– मण्डी शुल्क के एकमुश्त भुगतान के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् चीनी वर्ष 2018–2019 के अन्त तक एकमुश्त धनराशि के सिवाय अन्य कोई मण्डी शुल्क संदेय नहीं होगा। यदि व्यापारी अपनी क्रशर इकाई में उत्पादित या प्रसंस्कृत मात्रा के अतिरिक्त अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय विक्रय करने में लिप्त रहता है तो उसे उस मात्रा पर क्रय

विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर (सेस) का भुगतान प्रचलित दर पर करना होगा। यह धनराशि एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त होगी।

12– (1) ऐसे व्यापारी, जो गेटपास पुस्तिका का विकल्प देता है, के लिए उन्हें साप्ताहिकी गेटपासों की कार्यालय प्रतियां जमा करनी होंगी। वर्ष के अन्त में मण्डी समिति यह अवधारित करेगी कि व्यापारी ने अपनी इकाई की उत्पादन क्षमता के अनुसार गेटपास जारी किया है। इस प्रयोजनार्थ, क्रशर इकाई को भण्डारण की मासिक स्थिति, संबधित समिति को प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी होगी।

(2) ऐसे खण्ड में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ, मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये व्यापारी बाध्य होगा। मण्डी समिति किसी समय क्रशर इकाई का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत होगी।

13– (एक) यदि किसी एकमुश्त धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आख्यापक आदेश द्वारा उसका विनिश्चय किया जायेगा ।

(दो) मण्डी समिति के विनिश्चय के विरूद्ध 30 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे समुचित मामलों में निदेशक द्वारा बढाया जा सकता है, अधिनियम की धारा 32 के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है।

14– मण्डी शुल्क की एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने का विकल्प देने वाला व्यापारी वर्ष की अपेक्षित एकमुश्त धनराशि का भुगतान किस्तों में करेगा, प्रथम किस्त आवेदन के समय जमा की जायेगी तथा द्वितीय किस्त अगले 30 दिन के अन्दर जमा कर दी जायेगी।

15– यदि कोई एकमुश्त धनराशि, देय हो जाने के पश्चात् असंदत्त रह जाती है तो इसकी वसूली, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अनुसार की जायेगी।

अनुसूची

(खण्ड–2(घ) देखिये)

विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद :—

1– गुड़
2– खाण्डसारी
3– राब
4– शक्कर
5– ताड़ गुड़ (जगरी)

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

संख्या–2221(1)/80–1–2018तद्दिनांक

उपर्युक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक–11 अक्टूबर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के खण्ड–4 के खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की 25 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें ।

(2) मण्डी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(समर बहादुर)
अनु सचिव

प्रपत्र–1

(खण्ड 4 देखिये)

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति————————

जिला————————

महोदय,

मेरे पास विर्निदिष्ट कृषि उत्पाद गुड़/खाण्डसारी/राब/शक्कर/ताड़ गुड़ (जगरी) के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिये केशर इकाई के लिये कृषि उत्पादन मण्डी समिति————————जिला ————————का वैध लाईसेन्स है। लाईसेन्स का विवरण प्रकार हैः–

1– लाईसेन्स प्राप्त कमीशन एजेन्ट/व्यापारी का

नाम व पता ————————————

————————————

————————————

2– (क) लाइसेन्स संख्या ————————————

(ख) लाइसेन्स जारी किये जाने/नवीकरण किये

जाने का दिनांक ————————————

(ग) लाइसेन्स समाप्ति का दिनांक ————————————

3– चीनी वर्ष 2015–2016 में केशर इकाई का आकार,

स्वरूप और उत्पादन क्षमता ————————————

————————————

————————————

4– स्थान, जहां केशर इकाई स्थित हैः–

ग्राम, नगर ————————————

तहसील ————————————

(351)

जिला ____________________

मै एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केशर इकाइयाँ, गुड़ खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन करना) आदेश 2018 के अनुसार चीनी वर्ष 2016–2017 से 2018–2019 के सम्बन्ध में संदेय मण्डी शुल्क के बदले में एकमुश्त धनराशि में मण्डी शुल्क के भुगतान का विकल्प चुनता हूँ।

अतः यह प्रार्थना है कि पूर्वोक्त चीनी वर्ष के लिये उक्त आदेश के उपबंध के अनुसार, एकमुश्त भुगतान की जाने वाली मण्डी शुल्क की धनराशि की गणना करने और स्वीकार करने की कृपा करें। गन्ना विभाग द्वारा जारी वैध लाईसेन्स की प्रति भी इसके साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मै__________________पूर्वोक्त आवेदक का स्वामी/भागीदार एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरे व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर